रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98] दिल्ली, सोमवार, जून 4, 2012/ज्येष्ठ 14, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 53
No. 98] DELHI, MONDAY, JUNE 4, 2012/JYAISTHA 14, 1934 [N.C.T.D. No. 53

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 4 जून, 2012

सं. 21(10)/2012/एलएएस-IV/एलईजी/4278.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012

[विधेयक संख्या (10) 2012]

(जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 04 जून, 2012 को पुर:स्थापित किया गया)

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 में पुन: संशोधन करने हेतु एक विधेयक

इसे भारतीय गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाएगा :—

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा ।

(2) यह संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा ।

(3) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना से सरकार द्वारा यथानियत तिथि को प्रभावी होगा ।

शर्त यह है कि इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिये भिन्न-भिन्न तिथियां नियत की जा सकेंगी ।

2. धारा 2 का संशोधन:—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) (इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" रूप में संदर्भित) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (य घ) में खंड (vii) के बाद और व्याख्या से पूर्व आए उपबंध हटाए जाएंगे ।

3. धारा 9 का संशोधन:—मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(i) उप-धारा (3) में आए शब्द तथा अंक "(4) तथा (6)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "(4), (6) तथा (10)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ii) उप-धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

"(10) उप-धारा (1) में कुछ भी प्रतिकूल रहते हुए, जहां—

(क) किसी व्यापारी ने वस्तुएं (पूंजीगत वस्तुओं के अतिरिक्त) खरीदी हैं जिसके लिए इस धारा की उप-धारा (1) के अन्तर्गत कर क्रेडिट उत्पन्न होता है; तथा

(ख) ऐसी वस्तुओं में से वस्तुएं या विनिर्मित वस्तुएं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत बिक्री करके दिल्ली से निर्यात की जानी हैं,

कर क्रेडिट की राशि निर्धारित प्रतिशत से कम की जाएगी ।" ।

4. धारा 10 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) दिल्ली से निर्यात की गई वस्तुएं :—

(i) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार की गई बिक्री से; अथवा

(ii) पंजीकृत डीलर की किसी शाखा को या खेप एजेंट को की गई बिक्री से भिन्न;" ।

5. धारा 28 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 28 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"28 यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कर अवधि के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत की गई किसी विवरणी में कोई त्रुटि निकालता है, तो वह ऐसी त्रुटि को दूर करेगा और ऐसी कर अवधि के वर्ष के अगले वर्ष के भीतर संशोधित विवरणी प्रस्तुत करेगा :

शर्त यह है कि यदि त्रुटि के परिणामस्वरूप इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर से कम कर भुगतान किया है तो वह शेष देय कर तथा उस पर ब्याज का भुगतान करेगा :

आगे यह भी शर्त है कि 2010-2011 की किसी कर अवधि से संबंधित विवरणियों को छोड़कर, जो वर्ष 2011-12 में प्रस्तुत किए जाने के लिए सूचीबद्ध थीं, वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के लिये संशोधित विवरणी 31 दिसम्बर, 2012 तक प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होगी ।" ।

6. धारा 36क का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 36क की उप-धारा 11 में शब्द "निर्धारित अवधि के भीतर" के पश्चात् और शब्द "आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित पद्धति से" सन्निविष्ट किए जाएंगे ।

7. धारा 38 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (7) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ग) धारा 26 और धारा 27 के अन्तर्गत विवरणियां प्रस्तुत करना; अथवा

(घ) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत यथापेक्षित घोषणा पत्र या प्रमाण प्रपत्र प्रस्तुत करना," ।

8. धारा 49 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 49 के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"49 यदि किसी विशेष वर्ष के संबंध में, किसी डीलर की सकल बिक्री साठ लाख रुपये या ऐसी यथानिर्धारित अन्य राशि से बढ़ जाती है, तो ऐसा डीलर आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित पद्धति, परिपत्र तथा अवधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा," ।

9. धारा 50 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 50 में—

(i) उप-धारा (2) के खंड (घ) में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"आगे शर्त यह है कि ऐसी संख्यात्मक शृंखला, आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित पद्धति से और ऐसी तिथि से उसके द्वारा प्रदान की जा सकेगी ।"

(ii) उप-धारा (5) में,—

(क) खंड (घ) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"शर्त यह है कि कोई डीलर अलग संख्यात्मक शृंखला, दिल्ली में एक कार्य स्थल से अधिक कार्य स्थल की स्थिति में या प्रत्येक उत्पाद के लिये यदि एक उत्पाद से अधिक उत्पादों का व्यापार करता है या दोनों की स्थिति में भिन्न-भिन्न कूटांक सहित या तो पहले या बाद में लगाकर चला सकता है ॥

आगे शर्त यह है कि ऐसी संख्यात्मक श्रृंखला, आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित पद्धति से और ऐसी तिथि से उसके द्वारा प्रदान की जा सकेगी ।"

(ख) खंड (ड.) में शब्द "प्रदान की गई सेवाएं, उस पर वसूल किए गए कर की राशि सहित" के स्थान पर शब्द "प्रदान की गई सेवाएं तथा उस पर वसूल किए गए कर की राशि का अलग से उल्लेख किया जाए" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

10. धारा 66 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 66 की उप-धारा (2) के खंड (क) में आए शब्द "अतिरिक्त" के स्थान पर शब्द "विशेष" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

11. धारा 70 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 70 में,—

(i) धारा (2) में आए शब्द "प्रपत्र का प्रयोग" के स्थान पर "उसके द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी पद्धति में प्रपत्र का प्रयोग" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-धारा (5) में आए शब्द "पाँच सौ" के स्थान पर शब्द "दस हजार" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

12. धारा 73 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 73 में उप-धारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

"(9) इस धारा के प्रतिकूल कुछ भी रहते हुए सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में यथा उल्लिखित ऐसी शर्तों तथा विनियमों के अधीन एक या अधिक सदस्यों को मिलाकर पीठ गठित कर सकती है," ।

13. धारा 82 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 82 में,—

(i) धारा (1) के खंड (ख) में आए शब्दों "लागत लेखाकार" के पश्चात् शब्द "अथवा कंपनी सचिव" सन्निविष्ट किए जाएंगे;

(ii) उप-धारा (2) में,—

(क) मुख्य खंड में आए शब्द "सनदी लेखाकार" के स्थान पर शब्द "सनदी लेखाकार, लागत लेखाकार, कंपनी सचिव" प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

(ख) खंड (ख) में शब्द "सनदी लेखाकार" के पश्चात् शब्द "अथवा कंपनी सचिव" सन्निविष्ट किए जाएंगे ।

14. धारा 86 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 86 में,—

(i) उप-धारा (18) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी :—

"(18) यदि कोई व्यापारी इस अधिनियम की धारा 18 के उपबंधों के अनुपालन में विफल रहता है तो डीलर को दस हजार रुपए की राशि अर्थदंड के रूप में भुगतान करनी होगी,"।

(ii) उप-धारा (19) में आए शब्द "ऐसी वस्तुओं पर देय कर की राशि" के स्थान पर शब्द "ऐसी वस्तुओं के मूल्य के एक रुपए में चालिस पैसा" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 2 का संशोधन जून, 2011 में डीजल में मूल्य की वृद्धि पर वैट की लेवी की छूट देने के कारण राजस्व में हुई हानि को कम करने के लिये प्रस्तावित है ।

"सी" फार्मों पर अन्तर्राज्य बिक्री की स्थिति में कर कटौती की व्यवस्था के लिये धारा 9 का संशोधन प्रस्तावित है । इस धारा में संशोधन धारा 9 से संबंधित इसकी अनुकूलता के लिये भी धारा 10 में थोड़ा सा आशोधन करना आवश्यक होगा ।

वर्ष 2008-09 में, 2009-10 तथा 2010-11 के लिये विवरणियों की समीक्षा के लिये कुछ अवधि के लिये व्यवस्था करने हेतु और देय कर को कम करने हेतु विवरणी संशोधित करने के लिए आपत्ति दायर करने हेतु उपबंध को समाप्त करने के लिये धारा 28 का संशोधन करना प्रस्तावित है ।

फार्म डी वैट-48 में ठेके देने वाला (कांट्रेक्टी) द्वारा ऑन लाइन विवरणी प्रस्तुत करने हेतु व्यवस्था करने हेतु धारा 36क का संशोधन प्रस्तावित है ।

रिफंड की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु केन्द्रीय बिक्री कर नियमावली, 1957 में यथा उपबन्धित सांविधिक प्रपत्रों को प्रस्तुत करने के साथ रिफंड के प्रक्रमण के लिये समय अवधि से जोड़ने के लिये धारा 38 का संशोधन प्रस्तावित है ।

आयकर अधिनियम, 1961 से धारा 49 के उपबंध को अलग करने के लिये इस उपबंध का संशोधन प्रस्तावित है ।

व्यापारियों द्वारा कर बीजकों एवं खुदरा बीजकों को जारी करने की प्रणाली में एकरूपता लाने के लिये तथा विभाग द्वारा बीजकों की संख्यात्मक श्रृंखला के प्रस्तावित आटोमेटिक आबंटन से विभाग द्वारा प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था करने के लिये धारा 50 का संशोधन प्रस्तावित है ।

विशेष आयुक्त के नए पदनाम की व्यवस्था करने हेतु धारा 66 का संशोधन प्रस्तावित है ।

इलैक्ट्रॉनिक रूप से भी सूचना मांगने के लिये व्यवस्था करने हेतु तथा इसे रोकने का प्रभाव देने के लिए दंड की राशि बढ़ाने के लिए धारा 70 का संशोधन प्रस्तावित है ।

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 73 के अधीन गठित अपीलीय न्यायाधीकरण की कार्यदक्षता को बढ़ाने के लिये, ताकि यह लंबित मामलों का शीघ्र एवं समयबद्ध रूप से निपटान कर सके, धारा 73 का संशोधन प्रस्तावित है । प्रस्तावित संशोधन में न्यायाधिकरण में पीठों के गठन की व्यवस्था है ।

रोकने का प्रभाव देने के लिए, ट्रांसपोर्टरों के संबंध में अर्थदंड बढ़ाने के लिए तथा संशोधित धारा 49 से संबंधित अल्प आशोधन के लिए धारा 86 का संशोधन प्रस्तावित है ।

विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है ।

(शीला दीक्षित)

मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री

नई दिल्ली :

दिनांक :

वित्तीय ज्ञापन

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन), 2012 में किसी प्रकार की वित्तीय जटिलताएं सम्मिलित नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि से नए पदों पर कोई खर्च अपेक्षित नहीं है ।

प्रत्यायोजन विधान से संबंधी ज्ञापन

मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012 में अधीनस्थ विधान बनाने के लिये किसी अधिकारी को शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रावधान नहीं रखा गया है ।

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 4th June, 2012

No. 21(10)/2012/LAS-IV/Leg./4278.—The following is published for general information :—

THE DELHI VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2012

(Bill No. 10 of 2012)

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 4th June, 2012)

A Bill further to amend the Delhi Value Added Tax Act, 2004.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-third year of the Republic of India as follows:—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Delhi Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2012.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint :

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act.

2. Amendment of section 2.— In the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005) (hereinafter referred to as the 'principal Act'), in section 2, in sub-section (1), in clause (zd), the provisos occurring after clause (vii) and before the Explanation shall be omitted.

3. Amendment of section 9.—In the principal Act, in section 9,—

(i) in sub-section (3), for the word and figures "(4) and (6)", the word and figures "(4), (6) and (10)" shall be substituted;

(ii) after sub-section (9), the following shall be inserted, namely:—

"(10) Notwithstanding anything contained to the contrary in sub-section (1), where —

(a) a dealer has purchased goods (other than capital goods) for which a tax credit arises under sub-section (1) of this section; and,

(b) the goods or goods manufactured out of such goods are to be exported from Delhi by way of sale made under sub-section (1) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956,

the amount of the tax credit shall be reduced by the prescribed percentage.".

4. Amendment of section 10.—In the principal Act, in section 10, in sub-section (3), for clause (c) the following shall be substituted, namely:—

"(c) the goods are exported from Delhi, —

(i) by way of a sale made as per the provisions of sub-section (1) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956; or

(ii) other than by way of a sale, to a branch of the registered dealer or to a consignment agent;".

5. Amendment of section 28.—In the principal Act, for section 28 the following shall be substituted, namely :—

"28. If a person discovers a discrepancy in a return furnished by him for a tax period under this Act, he shall remove such discrepancy and furnish a revised return within the year following the year of such tax period :

Provided that if, as a result of the discrepancy, the person has paid less tax than was due under this Act, he shall, pay the tax owed and interest thereon :

Provided further that for the years 2008-09, 2009-10 and 2010-11, except for those returns pertaining to any tax period of 2010-11, which were scheduled to be furnished in the year 2011-12, the revised return shall be required to be furnished by 31st December, 2012.".

6. Amendment of section 36A.—In the principal Act, in section 36A, in sub-section (11), after the words "within the prescribed period" the words ", and in the manner as may be notified by the Commissioner" shall be inserted.

7. Amendment of section 38.—In the principal Act, in section 38, in sub-section (7), for clause (c), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(c) furnish returns under section 26 and section 27; or

(d) furnish the declaration or certificate forms as required under Central Sales Tax Act, 1956,".

8. Amendment of section 49.—In the principal Act, for section 49 the following shall be substituted, namely,—

"49. If, in respect of any particular year, the gross turnover of a dealer exceeds sixty lakh rupees or such other amount as may be prescribed, then, such dealer shall submit a report in such manner, form and period as may be notified by the Commissioner.".

9. Amendment of section 50.—In the principal Act, in section 50,—

(i) in sub-section (2), in clause (d), after the proviso, the following proviso shall be added namely:—

"Provided further that such numerical series may be granted by the Commissioner, in such manner and from such date as may be notified by him;",

(ii) in sub-section (5),—

(a) in clause (d), the following provisos shall be added, namely:—

"Provided that a dealer may maintain separate numerical series, with distinct codes, either as prefix or suffix, for each place of business, in case the dealer has more than one place of business in Delhi or for each product in case he deals in more than one product or both;

Provided further that such numerical series may be granted by the Commissioner, in such manner and from such date as may be notified by him;",

(b) in clause (e), for the words "services provided, inclusive of amount of tax charged thereon", the words "services provided and the amount of tax charged thereon indicated separately" shall be substituted.

10. Amendment of section 66.—In the principal Act, in section 66, in sub-section (2), in clause (a), for the word "Additional", the word "Special" shall be substituted.

11. Amendment of section 70.—In the principal Act, in section 70,—

(i) in sub-section (2), for the words "using the form", the words "using the form, in such manner as may be notified by him" shall be substituted;

(ii) in sub-section (5), for the words "five hundred", the words "ten thousand" shall be substituted.

12. Amendment of section 73.—In the principal Act, in section 73, after sub-section (8), the following shall be inserted, namely :—

"(9) Notwithstanding anything contained to the contrary in this section, the Government, may, by a notification in the Official Gazette, constitute benches comprising of one or more members, subject to such conditions and regulations as may be laid down in the notification.".

13. Amendment of section 82.—In the principal Act, in section 82,—

(i) in sub-section (1), in clause (b), after the words "cost accountant" the words "or company secretary" shall be inserted;

(ii) in sub-section (2),—

(a) in the main clause, for the words "chartered accountant", the words "chartered accountant, cost accountant, company secretary" shall be substituted; and

(b) in clause (b), after the words "cost accountant", the words "or company secretary" shall be inserted.

14. Amendment of section 86.—In the principal Act, in section 86,—

(i) for sub-section (18) the following shall be substitute, namely :—

"(18) If, any dealer fails to comply with the provisions of section 49 of this Act, the dealer shall be liable to pay, by way of penalty, a sum of ten thousand rupees."; and

(ii) in sub-section (19), for the words "the amount of tax payable on such goods", the words "forty paisa in a rupee for the value of such goods" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Amendment of section 2 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 is proposed to cut on the revenue losses on account of exemption of levy of VAT on increased price of diesel in June, 2011.

Amendment of section 9 is proposed to provide for reduction of tax credit in case of interstate sales against 'C' forms. Amendment in this section would necessitate slight modification of section 10 also for the sake of its conformation to related section 9.

Amendment of section 28 is proposed to provide for some time period for revision of returns for the years 2008-09, 2009-10 and 2010-11 and to do away with the provision for filing of objection to revise return for reducing the tax due.

Amendment of section 36A is proposed to provide for online filing of the return by the contractee in Form DVAT-48.

Amendment of section 38 is proposed to link the time period for processing of refunds with filing of statutory forms as provided under Central Sales Tax Rules, 1957, to streamline the process of refund.

Amendment of section 49 is proposed to de-link this provision from the Income Tax Act, 1961.

Amendment of section 50 is proposed to bring uniformity in the system of issuance of tax invoices and retail invoices by the dealers and to provide for effective monitoring by the department by way of proposed automatic allotment of numerical series for invoices by the department.

Amendment of section 66 is proposed to provide for the new designation of Special Commissioner.

Amendment of section 70 is proposed to provide for calling of information in electronic form also and for enhancement of the fine amount to give it a deterring effect.

To increase the efficiency of the Appellate Tribunal constituted under section 73 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 so that it can dispose of the appeals pending before it in a speedy and time bound manner, amendment of section 73 is proposed. The proposed amendment provides for constitution of Benches in the Tribunal.

Amendment of section 82 is proposed to include the Company Secretaries in the list of professionals for appearance before any authority in proceedings.

Amendment of section 86 is proposed for enhancement of penalty related with transporters to give it a deterrent effect and for a minor modification related to the amended section 49.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

New Delhi (SHEILA DIKSHIT)

Dated : Chief Minister/Finance Minister

FINANCIAL MEMORANDUM

The Delhi Value Added Tax (Amendment). Bill 2012 does not involve any additional financial implications since no outgo on new posts is anticipated from the Consolidation Fund of the National Capital Territory of Delhi.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Value Added Tax (Amendment) Bill, 2012 does not make provision for the delegation of power in favour of any functionaries to make subordinate legislation.

सं. 21(06)/2012/एलएएस-IV/एलईजी/4282.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

दिल्ली विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2012

[विधेयक संख्या (06) 2012]

(जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 04 जून, 2012 को पुर:स्थापित किया गया)

वर्ष 2012-2013 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक ।

भारत गणराज्य के तरेसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त शीर्षक.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 2) अधिनियम 2012 है ।

2. 33436,00,00,000 रुपयों का वर्ष 2012-2013 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए तैंतीस हजार चार सौ छत्तीस करोड़ रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के संबंध में वर्ष 2012-2013 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी ।

3. विनियोजन.—इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी ।

अनुसूची

(धाराएं 2 व 3 देखें)

(रुपये हजारों में)

				राशि इससे अधिक नहीं	
मांग संख्या	सेवायें एवं उद्देश्य		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	संचित निधि पर भारित	जोड़
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1.	विधान मंडल	राजस्व	150500	6600	157100
2.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	1041320	96680	1138000
		पूंजी	..	..	..
3.	न्याय प्रशासन	राजस्व	4185590	1273510	5459100
4.	वित्त	राजस्व	2224950	50	2225000
		पूंजी	330000	..	330000
5.	गृह	राजस्व	3224700	2800	3227500
6.	शिक्षा	राजस्व	45323250	3050	45326300
		पूंजी	3335000	..	3335000
7.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	राजस्व	29327245	8255	29335500
		पूंजी	..	..	..
8.	समाज कल्याण	राजस्व	24984500	..	24984500
		पूंजी	15397000	..	15397000
9.	उद्योग	राजस्व	3153850	350	3154200
			585200	..	585200
10.	विकास	राजस्व	15165830	1570	15167400
		पूंजी	3129600	400	3130000
11.	शहरी विकास एवं लोक निर्माण	राजस्व	62553700	400	62554100
		पूंजी	71579100	..	71579100
	सार्वजनिक ऋण	राजस्व	..	33000000	33000000
		पूंजी	..	13000000	13000000
12.	ऋण	पूंजी	25000	..	25000
13.	पेंशन	राजस्व	1250000	..	1250000
	जोड़		**286966335**	**47393665**	**334360000**

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 की संख्या-1) की धारा 29 की उप-धारा (1) के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित अनुदानों व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि पर भारित व्यय को वहन करने के लिए आवश्यक धनराशि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से विनियोजन की व्यवस्था के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जाता है ।

दिल्ल

मई, 2012

श्रीमती शीला दीक्षित,
मुख्य मंत्री/वित्त मंत्री

विधायी शक्ति प्रदान करने संबंधी ज्ञापन

दिल्ली विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2012 का उद्देश्य किसी अधीनस्थ अधिकारी को अतिरिक्त विधायी शक्ति प्रदान करना नहीं है ।

पी. एन. मिश्रा, सचिव

No. 21(06)/2012/LAS-IV/Leg./4282.—The following is published for general information.—

THE DELHI APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 2012

(BILL NO. 06 of 2012)

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 4th June, 2012)

A Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2012-13.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty third Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 2) Act, 2012.

2. Issue of Rs. 33436,00,00,000 from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2012-2013.—From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of rupees thirty three thousand four hundred thirty six crore only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2012-2013 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

3. Appropriation.—The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

(Rs. in thousands)

Demand No.	Services and Purposes		Sums Not Exceeding Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1.	Legislative Assembly	Revenue	150500	6600	157100
2.	General Administration	Revenue	1041320	96680	1138000
		Capital	..	..	..
3.	Administration of Justice	Revenue	4185590	1273510	5459100

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
4.	Finance	Revenue	2224950	50	2225000
		Capital	330000	..	330000
5.	Home	Revenue	3224700	2800	3227500
6.	Education	Revenue	45323250	3050	45326300
		Capital	3335000	..	3335000
7.	Medical and Public Health	Revenue	29327245	8255	29335500
		Capital	..	..	..
8.	Social Welfare	Revenue	24984500	..	24984500
		Capital	15397000	..	15397000
9.	Industries	Revenue	3153850	350	3154200
		Capital	585200	..	585200
10.	Development	Revenue	15165830	1570	15167400
		Capital	3129600	400	3130000
11.	Urban Development and Public Works	Revenue	62553700	400	62554100
		Capital	71579100	..	71579100
	Public Debt	Revenue	..	33000000	33000000
		Capital	..	13000000	13000000
12.	Loans	Capital	25000	..	25000
13.	Pension	Revenue	1250000	..	1250000
	Total		**286966335**	**47393665**	**334360000**

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Appropriation (No. 2) Bill, 2012 is introduced in pursuance of sub-section (1) of Section 29 read with clause (a) of sub-section (1) of section 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992) to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and the grants voted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi for the expenditure of the Government of National Capital Territory of Delhi for the financial year 2012-2013.

Delhi
May, 2012

(SHEILA DIKSHIT)
Chief Minister/Finance Minister

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Appropriation (No. 2) Bill, 2012 does not seek to confer any additional power of legislation on any subordinate functionaries.

P. N. MISHRA, Secy.

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 जून, 2012

फा. सं. 60 (59)/म बा वि/सनिमसप्र/पार्ट-III/6850-866.—दिल्ली महिला आयोग अधिनियम, 1994 (1994 के दिल्ली अधिनियम संख्या 8) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना संख्या 60(59)/ म बा वि/सनिमसप्र/पार्ट-III/10929-944, दिनांक 27-7-2011, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुच्छेद संख्या 3 का संशोधन करते हैं जिसके अनुसार दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवाओं के नियम एवं शर्तें, उनके कर्तव्य, कार्य, मानदेय भत्ता एवं अन्य भत्तों की व्यवस्था निम्न प्रकार से होगी ।

1. (1) ये नियम दिल्ली महिला आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों और अन्य प्रावधानों की सेवा शर्तों, मानदेय भत्ता एवं भत्तों) संशोधन नियम, 2012 कहलायेंगे ।

(2) ये नियमावली वित्त विभाग के आदेश 14-6-2011 से प्रभावी होंगे ।

2. दिल्ली महिला आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों और अन्य प्रावधानों की सेवा शर्तों, मानदेय भत्ता एवं भत्तों) नियम, 2000 के नियम 3 में निम्नलिखित उपस्थापन होंगे ।

3. **"आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का मानदेय, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें.**—(i) अध्यक्ष (गैर-सरकारी) पूरे समय के आधार पर नियुक्त किया जाएगा और उन्हें रुपये 30,000 प्रतिमाह मानदेय भत्ता दिया जाएगा । वह पूरे समय के लिए वाहन, कार्यालय और निवास पर दूरभाष की सुविधा का पात्र होगा । अवैतनिक अध्यक्ष की स्थिति में वह मानदेय भत्ते का पात्र नहीं होगा अपितु वह सरकार के सचिव को उपलब्ध कराई जाने वाली वाहन तथा अन्य अनुलब्धियों का पात्र होगा ।

(ii) अन्य सदस्य (गैर-सरकारी) अंशकालिक आधार पर नियुक्त किए जाएंगे और ऐसे प्रत्येक सदस्य को रुपये 15,000 प्रतिमाह मानदेय भत्ता दिया जाएगा तथा रुपये 10,000 प्रतिमाह यात्रा भत्ता देय होगा । वे आयोग के कार्यालय में उपलब्ध दूरभाष का उपयोग करेंगे । वे निवास पर दूरभाष के पात्र नहीं होंगे ।

(iii) यदि किसी सदस्य को सभा में जाना है या दिल्ली अथवा दिल्ली से बाहर यात्रा करनी है और पूल में वाहन उपलब्ध नहीं है तो ऐसी अवस्था में वह सरकार के सचिव को देय दर के अनुसार यात्रा भत्ता लेने का पात्र होगा ।

(iv) यदि आयोग किसी व्यक्ति को विशेष सभाओं में आने के लिए आमंत्रित करता है अथवा किसी बाह्य व्यक्ति को विनिर्दिष्ट सभाओं में सम्मिलित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को दौ सौ रुपये प्रति सभा आसीन भत्ता दिया जाएगा ।"

राजीव काले, निदेशक

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 4th June, 2012

F. No. 60(59)/DWCD/ADWEC/Pt. III/6850-866.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Delhi Commission for Women Act, 1994 (Delhi Act 8 of 1994) and in supersession of this Department's Notification No. 60(59)/ DWCD/ADWCD/Part III/10929-944, dated 27-07-2011, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes amendments in the Delhi Commission for Women (Honorarium and Allowances Payable and other Terms and Conditions of Services of the Chairperson and Members and other (Provisions) Rules, 2000 as following, namely:—

1. (1) These rules may be called The Delhi Commission for Women [Honorarium, Allowances and other Conditions of Services of Chairperson and Members and other (Provisions)] Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force from the date of FD's order dated 14-06-2011.

2. In the Delhi Commission for Women [Honorarium and Allowances Payable and other Terms and Conditions of Services of the Chairperson and Members and other (Provisions)] Rules, 2000 for rule 3, the following shall be substituted, namely:—

3. **"Honorarium, Allowances and other Conditions of Service of the Chairperson and Members of the Commission.**—(i) The Chairperson shall be appointed on a full time basis (non-official) and shall be paid a fixed honorarium ₹30,000/- per month (Rupees thirty thousand only) all inclusive. He/she shall be entitled to the facility of full time car and separate telephone at the office and residence. In case of honorary chairperson he/she will not be entitled for honorarium. However, he/she will be entitled to the facility of telephones at residence and office, car and other perquisites enjoyed by a Secretary to the Government.

(ii) Other members (non-official) shall be appointed on a part time basis and each of such members shall be paid a fixed honorarium of ₹15,000/- per month (Rupees fifteen thousand only) and transport allowance of ₹10,000/- per month (Rupees ten thousand only). They shall share the office telephone available in the Commission. They shall not be entitled for residential telephone.

(iii) In case a member has to attend meeting or pay a visit within or outside Delhi and in case the pool vehicles are not available he/she shall be entitled to draw travelling allowances at the same rate as applicable to a Secretary to the Government.

(iv) If the Commission invites any person to attend certain meeting or co-opts any outsider for any specific meeting, such persons shall be paid a sitting allowance of Rupees two hundred per meeting".

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

RAJIV KALE, Director

राजस्व विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 4 जून, 2012

सं. एफ. 7(13)/राजस्व/जी.ए./राज. श./97/पी.एफ.-I/935.—सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं. 77, दिनांक 21-2-2012 के संदर्भ में श्री सतीश कुमार रावत, ग्रेड-I (दास) ने दिनांक 24-2-2012 (पूर्वाह्न) को तहसीलदार (पालम) जिला दक्षिण-पश्चिम का कार्यभार संभाल लिया है। अत: :—

सं. 7(13)/रा.स्थ./स.र./97(i).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की उप-धारा 27/1/बी (1887 का अधिनियम सं. 17), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा श्री सतीश कुमार रावत, ग्रेड-I (दास) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं ।

सं. 7(13)/रा.स्थ./स.र./97/(ii).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 15 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा श्री सतीश कुमार रावत, ग्रेड-I (दास) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं ।

सं. 7(13)/रा.स्थ./स.र./97/(iii).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी एवं विखंडन रोकथाम) अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम सं. 50) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा श्री सतीश कुमार रावत, ग्रेड-I (दास) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में उक्त शक्तियां व अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

सं. 7(13)/रा.स्थ./स.र./97/(iv).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 12) की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा श्री सतीश कुमार रावत, ग्रेड-I (दास) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं ।

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 4th June, 2012

F. No. 7(13)/REV./GA/Rev. P/97/P.F.-I/935.—In pursuance of Services Department's order No. 77, dated 21-2-2012 Sh. Satish Kumar Rawat, Grade-I (DASS) has joined as Tehsildar (Palam), Distt. South West of this Department on 24-2-2012 (F/N). Now, therefore :—

No. 7(13)/Rev./Estt./S.R./97(i).—In exercise of powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act No. XVII of 1887), as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Satish Kumar Rawat, Grade-I (DASS) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory, w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

No. 7(13)/Rev./Estt./S.R./97(ii).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Satish Kumar Rawat, Grade-I (DASS) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory, w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

No. 7(13)/Rev./Estt./S.R./97(iii).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (Act No. 50 of 1948), as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Sh. Satish Kumar Rawat, Grade-I (DASS) as Consolidation Officer in the said Territory for the purpose of the aforesaid Act w.e.f. the date of assumption of charge and till such time as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.

No. 7(13)/Rev./Estt./S.R./97(iv).—In exercise of powers conferred by Section 77 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Satish Kumar Rawat, Grade-I (DASS) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory, w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

फा. सं. 7(13)/राजस्व/जी.ए./राज. श./97/पी. एफ.-II/934.—सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं. 566 दिनांक 19-12-2011 एवं 75, दिनांक 15-2-2012 के संदर्भ में श्री अजीत कुमार चौधरी, ग्रेड-1 (दास), श्री सत्यवीर सिंह शर्मा, ग्रेड-1 (दास) और श्री आर. के. अग्रवाल, ग्रेड-1 (दास) ने क्रमशः दिनांक 22-12-2011 (अपराह्न), 15-2-2012 (पूर्वाह्न) और 16-2-2012 (पूर्वाह्न) को क्रमशः तहसीलदार (हौजखास) जिला दक्षिण, तहसीलदार (नजफगढ़) जिला दक्षिण-पश्चिम और तहसीलदार (डिफेंस कॉलोनी) जिला दक्षिण का कार्यभार संभाल लिया है । अतः :—

सं. 7(13)/रा. स्थ./स.र./97(i).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की उप-धारा 27/1/बी (1887 का अधिनियम संख्या 17), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री अजीत कुमार चौधरी, ग्रेड-1 (दास), श्री सत्यवीर सिंह शर्मा, ग्रेड-1 (दास) और श्री आर. के. अग्रवाल, ग्रेड-1 (दास) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं ।

सं. 7(13)/रा. स्थ./स.र./97(ii).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 15 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री अजीत कुमार चौधरी, ग्रेड-1 (दास), श्री सत्यवीर सिंह शर्मा, ग्रेड-1 (दास) और श्री आर. के. अग्रवाल, ग्रेड-1 (दास) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं ।

सं. 7(13)/रा. स्थ./स.र./97(iii).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी एवं विखण्डन रोकथाम) अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम सं. 50) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री अजीत कुमार चौधरी, ग्रेड-1 (दास), श्री सत्यवीर सिंह शर्मा, ग्रेड-1 (दास) और श्री आर. के. अग्रवाल, ग्रेड-1 (दास) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में उक्त शक्तियां व अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

सं. 7(13)/रा. स्थ./स.र./97(iv).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 12) की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री अजीत कुमार चौधरी, ग्रेड-1 (दास), श्री सत्यवीर सिंह शर्मा, ग्रेड-1 (दास) और श्री आर. के. अग्रवाल, ग्रेड-1 (दास) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं ।

F. No. 7(13)/REV./GA/Rev. P./97/P.F.-II/934.—In pursuance of Services Department's order No. 566, dated 19-12-2011 and 75, dated 15-2-2012, Sh. Ajit Kumar Chaudhary Grade-I (DASS), Sh. Satyavir Singh Sharma Grade -I (DASS) and Sh. R. K. Aggarwal Grade - I (DASS), have joined as Tehsildar (Hauz Khas), Tehsildar (Najafgarh) and Tehsildar (Defence Colony) of this Department on 22-12-2011 (A/N), 15-02-2012 (F/N) and 16-02-2012 (F/N) Now, therefore,

No. 7(13)/Rev. Estt./S.R/97(i).—In exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act No. XVII of 1887), as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased to confer upon Sh. Ajit Singh Chaudhary, Grade-I (DASS) , Sh. Satyavir Singh Sharma Grade-I (DASS) and Sh. R.K. Aggarwal Grade - I (DASS), the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory), w.e.f. the date of assumption of charge and so long as they hold the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

No. 7(13)/Rev. Estt./S.R/97(ii).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Ajit Singh Choudhary, Grade-I (DASS), Sh. Satyavir Singh Sharma Grade - I (DASS) and Sh. R. K. Aggarwal Grade -I (DASS), the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory, w.e.f. the date of assumption of charge and so long as they hold the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

No. 7(13)/Rev. Estt./S.R./97(iii).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (Act No. 50 of 1948) as enforced in the National Capital Territory of Delhi the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Sh. Ajit Singh Choudhary, Grade-I (DASS), Sh. Satyavir Singh Sharma Grade-I (DASS) and Sh. R. K. Aggarwal Grade -I (DASS), as Consolidation Officer in the said Territory for the purpose of the aforesaid Act, w.e.f. the date of assumption of charge and till such time as they hold the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

No. 7(13)/Rev. Estt./S.R.97/(iv).—In exercise of powers conferred by Section 77 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Ajit Singh Choudhary, Grade-I (DASS), Sh. Satyavir Singh Sharma Grade - I(DASS) and Sh. R.K. Aggarwal Grade -I (DASS), the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory, w.e.f. the date of assumption of charge and so long as they hold the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

सं. एफ. 11(11)/रा./स्था./उपा./रा. श./2012/पार्ट फाइल/933.—सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं. 172 दिनांक 20-4-2012 के संदर्भ में श्री डी. एन. सिंह, दानिक्स ने दिनांक 30-4-2012 को उपायुक्त मध्य, जिला मध्य का कार्यभार संभाल लिया है। अत :-

1. दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री डी. एन. सिंह, दानिक्स/उपायुक्त, को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अतिरिक्त कलैक्टर नियुक्त किया जाता है तथा उसी अधिनियम की धारा 6 तथा 76 के अंतर्गत उन्हें जिलाधीश राजस्व की शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

2. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 3(6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री डी. एन. सिंह, दानिक्स/उपायुक्त, को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपायुक्त के कार्यपालन हेतु शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब टेनेंसी अधिनियम, 1887 की धारा 105 (1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री डी. एन. सिंह, दानिक्स/उपायुक्त, को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 27 (1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री डी. एन. सिंह, दानिक्स/उपायुक्त, को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 14(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री डी. एन. सिंह, दानिक्स/उपायुक्त, को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा विखंडन रोकथाम) अधिनियम, 1948 की धारा 41 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री डी. एन. सिंह, दानिक्स/उपायुक्त, को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित अधिनियम की धारा 21 (4) के अंतर्गत बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) द्वारा धारा 21 (3) में पारित किए गए आदेशों के खिलाफ समस्त अपीलें सुनने के लिए अपीलेंट अथोरिटी नियुक्त किया जाता है।

No. F. 11(11)/GA/Estt./Rev.P./DC/P.F./2012/933.—In pursuance of Services Department's order No. 172 dated 20-04-2012, Sh. D. N. Singh, DANICS has joined as Deputy Commissioner (Central), District Central on 30-04-2012, Now, therefore :—

(i) In exercise of powers conferred by Section 5 of the Delhi Land Revenue Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. D. N. Singh, DANICS/Deputy Commissioner as Additional Collector in the National Capital Territory of Delhi and delegates the powers of Collector under Section 6 read with Section 76 of the said Act to him w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(ii) In exercise of powers conferred by Section 3(6) of the Delhi Land Reforms Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to empower Sh. D. N. Singh, DANICS/Deputy Commissioner, to discharge the functions of Deputy Commissioner under the said Act in the National Capital Territory of Delhi w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(iii) In exercise of powers conferred by Section 105(1)(a) of the Punjab Tenancy Act, 1887 as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. D. N. Singh, DANICS/Deputy Commissioner, all powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(iv) In exercise of powers conferred by Section 27(1) (a) of the Punjab Land Revenue Act, 1887, as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. D. N. Singh, DANICS/Deputy Commissioner, all powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi, w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(v) In exercise of powers conferred by Section 14(A) of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. D. N. Singh, DANICS/Deputy Commissioner all powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(vi) In exercise of powers conferred by Section 41(1) of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi hereby appoints Sh. D. N. Singh, DANICS/Deputy Commissioner and delegates the powers of hearing appeals under Section 21(4) of the said Act against the order of Settlement Officer (Consolidation) passed under Section 21(3) of the said Act to him w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

फा. सं. 7(1)/रा./स्था./उपम. द./रा. श./2012/पार्ट फाइल/932.—सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं. 180, दिनांक 26-4-2012 के संदर्भ में श्री रजनीश कुमार सिंह, दानिक्स ने दिनांक 1-5-2012 (पूर्वाह्न) को उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी (नरेला), जिला-उत्तर-पश्चिम का कार्यभार संभाल लिया है । अत: :—

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम संख्या 17) की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में श्री रजनीश कुमार सिंह, दानिक्स, को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो प्रदान करते हैं ।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (1901 का अधिनियम संख्या 3) की धारा 223 के साथ पठित धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में श्री रजनीश कुमार सिंह, दानिक्स, को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो प्रदान करते हैं ।

3. दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 76 के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा श्री रजनीश कुमार सिंह, दानिक्स, को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी तथा राजस्व सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत उस समय तक कलैक्टर की सभी शक्तियाँ अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं ।

4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू उत्तरी भारत नहर तथा जल निकास अधिनियम, 1873 (1873 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 3 के खण्ड 6 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कलैक्टर की सभी शक्तियों तथा कार्यों को करने अथवा अधिरोपित करने के लिए श्री रजनीश कुमार सिंह, दानिक्स, को उस समय तक कलैक्टर की शक्तियों को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत है या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं ।

5. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के अधिनियम संख्या 8 की धारा 3 के खंड 19ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम की अनुसूची I परिशिष्ट में वर्णित राजस्व सहायक के कार्यों को निर्वाहन करने के लिए श्री रजनीश कुमार सिंह, दानिक्स, को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं ।

6. पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा विखंडन रोकथाम) अधिनियम, 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम संख्या 50) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए श्री रजनीश कुमार सिंह, दानिक्स को उस समय तक बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी) के रूप में अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं ।

7. दिल्ली भूमि जोत (सीमाबंदी) अधिनियम, 1960 (1960 का अधिनियम सं. 24) की धारा 2 के खंड ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत उस समस्त क्षेत्र के लिए जहां लागू होता हो के लिए सक्षम प्राधिकारी का कार्य करने के लिए श्री रजनीश कुमार सिंह, दानिक्स को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं अथवा अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्राधिकृत करते हैं ।

F. No. 7(1)/GA/Estt./Rev. P./SDM/PF-I/2012/932.—In pursuance of Services Department's Order No. 180, dated 26-4-2012, Shri Rajanish Kumar Singh, DANICS has joined as Sub-Divisional Magistrate (Narela), District North West on 1-5-2012 (F/N). Now, therefore,

1. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Revenue Act, 1887 (Punjab Act No. XVII of 1887) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby confers upon Shri Rajanish Kumar Singh, DANICS the power of Assistant Collector, 1st Class under the said Act within the National Capital Territory of Delhi w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

2. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 read with Section 223 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (Act No. III of 1901) as extended to the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby confers upon Shri Rajanish Kumar Singh, DANICS as Assistant Collector, 1st Grade under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, and confers upon him all the powers of Collector under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

3. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 read with Section 76 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints Shri Rajanish Kumar Singh, DANICS as Assistant Collector, 1st Class and Revenue Assistant in the National Capital Territory of Delhi and confers upon him all the powers of Collector under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as he holds the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

4. In exercise of the powers conferred by Section 4 read with Clause 6 of Section 3 of the Northern India Canal & Drainage Act, 1873 (Act No. 2 of 1873) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Shri Rajanish Kumar Singh, DANICS as Collector, to exercise or perform the duties conferred or imposed under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

5. In exercise of powers conferred by Clause 19-A of Section 3 of the Delhi Land Reforms Act, 1954 (Act No. 8 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby empowers Shri Rajanish Kumar Singh, DANICS as Assistant Collector, 1st class to perform the function of Revenue Assistant described in the Schedule I as appended to the said Act within the National Capital Territory of Delhi, w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

6. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of East Punjab Holdings (Consolidation & Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (Act No. 50 of 1948) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri Rajanish Kumar Singh, DANICS as Settlement Officer (Consolidation) for National Capital Territory of Delhi, w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

7. In exercise of the powers conferred by Clause (c) of Section 2 of the Delhi Land Holding (Ceiling) Act, 1960 (F. No. 24 of 1960) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to authorize Shri Rajanish Kumar Singh, DANICS to perform the functions of the Competent Authority under the said Act within the whole areas to which the provision of the said Act are applicable w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

फा. सं. 11(11)/रा./स्थ./उपा./रा.श./2012/पार्ट फाइल-I/931.—सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं. 172 दिनांक 20-04-2012 के सन्दर्भ में डॉ. बी.एम.मिश्रा, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2008) ने दिनांक 27-04-2012 (अपराह्न) को उपायुक्त (पूर्व); जिला पूर्व का कार्यभार संभाल लिया है । अत: :—

1. दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा डॉ. बी.एम.मिश्रा, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2008)/उपायुक्त को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अतिरिक्त कलैक्टर नियुक्त किया जाता है तथा उसी अधिनियम की धारा 6 तथा 76 के अंतर्गत उन्हें जिलाधीश राजस्व की शक्तियां प्रदान की जाती हैं ।

2. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 3 (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा डॉ. बी.एम.मिश्रा, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2008)/उपायुक्त को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपायुक्त के कार्य पालन हेतु शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यथा-विस्तारित पंजाब टेनेंसी अधिनियम, 1887 की धारा 105 (1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा डॉ. बी.एम.मिश्रा, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2008)/उपायुक्त को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 27(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा डॉ. बी.एम.मिश्रा, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2008)/उपायुक्त को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 14 (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा डॉ. बी.एम.मिश्रा, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2008)/उपायुक्त को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा विखंडन रोकथाम) अधिनियम, 1948 की धारा 41(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा डॉ. बी.एम.मिश्रा, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2008)/उपायुक्त को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित अधिनियम की धारा 21(4) के अंतर्गत बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) द्वारा धारा 21(3) में पारित किए गए आदेशों के खिलाफ समस्त अपीलें सुनने के लिए अपीलेंट अथोरिटी नियुक्त किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

कुलदीप सिंह गंगर, विशेष सचिव (राजस्व)

F. No. 11(11)/GA/Estt./Rev. P/DC/P.F.-I/2012/931.—In pursuance of Services Department's Order No. 172, dated 20-4-2012, Dr. B. M. Mishra, IAS(AGMU:2008) has joined as Deputy Commissioner (East), District East on 27-4-2012 (A/N), Now, therefore :—

(i) In exercise of powers conferred by Section 5 of the Delhi Land Revenue Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Dr. B. M. Mishra, IAS (AGMU : 2008)/Deputy Commissioner as Additional Collector in the National Capital Territory of Delhi and delegates the powers of Collector under Section 6 read with Section 76 of the said Act to him w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(ii) In exercise of powers conferred by Section 3(6) of the Delhi Land Reforms Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to empower Dr. B. M. Mishra, IAS (AGMU: 2008)/Deputy Commissioner to discharge the functions of Deputy Commissioner under the said Act in the National Capital Territory of Delhi w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(iii) In exercise of powers conferred by Section 105(1)(a) of the Punjab Tenancy Act, 1887 as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Dr. B. M. Mishra, IAS (AGMU: 2008)/Deputy Commissioner, all powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(iv) In exercise of powers conferred by Section 27(1) (a) of the Punjab Land Revenue Act, 1887, as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Dr. B. M. Mishra, IAS (AGMU: 2008)/Deputy Commissioner, all powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi, w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(v) In exercise of powers conferred by Section 14(A) of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Dr. B. M. Mishra, IAS (AGMU:2008) Deputy Commissioner all powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(vi) In exercise of powers conferred by Section 41(1) of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi hereby appoints Dr. B. M. Mishra, IAS (AGMU: 2008)/Deputy Commissioner and delegates the powers of hearing appeals under Section 21(4) of the said Act against the order of Settlement Officer (Consolidation) passed under Section 21(3) of the said Act to him w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,
KULDEEP SINGH GANGAR, Spl. Secy. (Revenue)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.